"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2012—ज्येष्ठ 4, शक 1934

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2012

प्रकरण क्र./ / ब -113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक /567/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012.— आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विश्वेन्द्र कुमार अग्रवाल पिता स्व. पवन कुमार अग्रवाल, निवासी म. नं. 08/1180 पवन दाऊजी का बाड़ा, गुढ़ियारी रायपुर ने मदन सदावर्त धर्मशाला ट्रस्ट, गुढ़ियारी रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 18-05-2012 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	मदन सदावर्त धर्मशाला ट्रस्ट, गुढ़ियारी रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	265803.25/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	ग्राम गुढ़ियारी स्थित भूमि खसरा नं. 317/1, 535, 612/1, 612/5, 612/6, 655/2, 656/1, 656/2, 664, 667 कुल रकबा 5.644 हे. एवं ग्राम गुढ़ियारी खसरा नं. 1164/5, 1164/6 प्लाट नं. 48 एवं 56 कुल रकबा 8860 वर्गफुट भूमि.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15-03-2012 को जारी.

रायपुर, दिनांक 15 मार्च 2012

प्रकरण क्र./ / ब -113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक /568/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश गोलछा वल्द रानीदान गोलछा निवासी 53 जलविहार कालोनी रायपुर ने समर्पण ट्रस्ट, 53 जलविहार कालोनी रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 18-05-2012 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	समर्पण ट्रस्ट, 53 जल विहार कालोनी, रायपुर (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	5001/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15-03-2012 को जारी.

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2012

प्रकरण क्र./ / ब -113 (1)/ वर्ष 2011-12

क्रमांक /125/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2012.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक देवेन्द्र कुमार पिता स्व. शिवपूजन निवासी जागृति मंडल, गोविंद नगर रायपुर ने संस्कृत भारती न्यास जागृति मंडल, गोविंद नगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 28-05-2012 उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	संस्कृत भारती न्यास जागृति मंडल, गोविंद नगर, रायपुर (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	5100/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 27-04-2012 को जारी.

एस. के. अग्रवाल,
पंजीयक.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

प्ररूप क्रमांक 4

[देखे नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक जिला रायगढ़ के समक्ष

सारंगढ़, दिनांक 26 अप्रैल 2012

क्रमांक /965/अ. वि. अ./वाचक-2/2012.—यह कि श्री जवाहर नायक सचिव श्री रामकुटी लोधिया निवासी ग्राम लोधिया तहसील बरमकेला ने लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा -4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 28-05-2012 को दिन के 10.30 बजे मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री राम कुटी ट्रस्ट लोधिया ग्राम लोधिया, पो. आ.-लोधिया, तह.-बरमकेला, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)
2.	चल संपत्ति	:	34,000-00/- रु. (चौतीस हजार मात्र) जमा.
3.	अचल संपत्ति	:	लगभग 2-2.5 एकड़ जमीन है.

राजेन्द्र गुप्ता,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

क्रमांक/विधि//2012/577.— शिवांजली गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 79 का परिसमापक द्वारा समिति को पुनर्जीवित करने हेतु आमसभा में प्रस्ताव पारित कर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रस्तावित अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत कार्य योजना में प्रथमत: संस्था में 47 सदस्य है जिनमें से 26 सदस्यों को प्लाट मिला है शेष सदस्यों को प्लाट प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें प्लाट दिया जाना, द्वितीय संस्था द्वारा विक्रय की गई भूमि जो सदस्यों के आवंटित की गई है उन पर विद्युत, नाली, सड़क बनाने एवं तृतीय संस्था को शासन के मद में राशि दिया जाना है, उसे सदस्यों से वसूली की जाकर शासन को भुगतान कराने संबंधी कार्य योजना तैयार किया गया है.

सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए संस्था को पुनर्जीवित किया जा कर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करेगी. तत्संबंध में संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं, निर्मल तिर्की, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. शासन की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह (सी) दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत् शिवांजली गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 79 जिला-बिलासपुर को इस शर्त पर पुनर्जीवित किया जाता है कि 01 वर्ष के अन्दर अपने दिये गये कार्य योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ नहीं करती है तो पुन: समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही की जावेगी.

यह आदेश आज दिनांक 28-03-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

03 माह के लिए निम्नांकित सदस्यों को संचालक मण्डल के सदस्य कार्य संचालन हेतु अधिकृत करता हूं.

1.	श्री जितेन्द्र सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री कमलेश कुमार	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती लक्ष्मी पटेल	सदस्य
4.	श्री हर्षाराणा	सदस्य
5.	श्री संजू गुप्ता	सदस्य
6.	श्री सुधीर झा	सदस्य

बिलासपुर, दिनांक 07 अप्रैल 2012

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परी./2012/649.— इस कार्यालय का आदेश क्र./परी./2002/944 बिलासपुर दिनांक 06-08-2005 के तहत् अभिलाषा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजेन्द्र नगर, बिलासपुर पं. क्र. 83 दिनांक 30-09-95 के विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर छ. ग. को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा कर धारा 70 (1) के तहत् श्री एम. पी. श्रीवास, सहकारी निरीक्षक, बिलासपुर को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति का परिसमापन संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं सहमत हूं तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, निर्मल तिर्की, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 (सी) दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियों का अधिकार जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत् अभिलाषा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजेन्द्र नगर बिलासपुर, पं. क्र. 83 दिनांक 30-09-95 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 04-04-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

निर्मल तिर्की,
संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 21 मार्च 2012

क्रमांक/सं. पं. दु./परिसमापन/2012/263.— चर्म शिल्प उद्योग सहकारी समिति मर्या., हथखोज. भिलाई. पंजीयन क्रमांक 2341, जिला दुर्ग को छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 53 (1) के तहत् अधिग्रहित कर श्री एम. के. पाल, स. वि. अ. दुर्ग को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था. संस्था के प्रभारी अधिकारी श्री पाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 19-3-12 के अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील होने एवं संस्था के सदस्यों द्वारा रुचि नहीं लेने तथा संस्था में संसाधन का अभाव होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की है. अंकेक्षण टीप के अनुसार भी संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. उक्त प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मैं, जॉन खलखो, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, दुर्ग म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 (सी) दिनांक 26-07-1999 द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एम. के. पाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 21-3-12 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
सहायक पंजीयक

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 19 मार्च 2012

क्रमांक/181/उपंरा/परिसमापन/2012.—चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परिसमापन/336, दिनांक 27-7-2010 के तहत् जय बुढ़ादेव आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित सीतागोटा महावीर नगर पंजीयन क्रमांक 357 दिनांक 4-4-1997 विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70 (1) के अधीन श्री पी. के. बोस सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है और उक्त संस्था के परिसमापक ने नियमानुसार उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के प्रावधानों के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों से मैं संतुष्ट हूं एवं उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय पाता हूं.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा (1) एवं (2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत जय बुढ़ादेव मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित सीतागोटा महावीर नगर पं. क्र. 357 दिनांक 4-4-1997 विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) आज दिनांक 19-03-2012 से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 19 मार्च 2012

क्रमांक/182/उपंरा/परिसमापन/2012.—चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परिसमापन/1611, दिनांक 16-09-1996 के तहत् गणेश बुनकर सहकारी समिति मर्यादित गण्डई पंजीयन क्रमांक 10 विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70 (1) के अधीन श्री एम. एल. देवागन सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है और उक्त संस्था के परिसमापक ने नियमानुसार उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के प्रावधानों के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों से मैं संतुष्ट हूं एवं उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय पाता हूं.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा (1) एवं (2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत गणेश बुनकर सहकारी समिति मर्यादित गण्डई पं. क्र. 10 विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) आज दिनांक 19-03-2012 से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 19 मार्च 2012

क्रमांक/183/उपंरा/परिसमापन/2012.—चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परिसमापन/1681, दिनांक 24-10-1994 के तहत् बजरंग बुनकर सहकारी समिति मर्यादित दपका पंजीयन क्रमांक 06 विकासखण्ड खैरागढ़, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70 (1) के अधीन श्री एम. एल. देवांगन सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है और उक्त संस्था के परिसमापक ने नियमानुसार उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (3) के प्रावधानों के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों से मैं संतुष्ट हूं एवं उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय पाता हूं.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा (1) एवं (2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत बजरंग बुनकर सहकारी समिति मर्यादित दपका पं. क्र. 06 विकासखण्ड खैरागढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) आज दिनांक 19-03-2012 से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 19-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 27 मार्च 2012

क्रमांक/204/उपंरा/परिसमापन/2012.—चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परिसमापन/260, दिनांक 19-2-2008 के तहत् गुरू घासीदास बुनकर सहकारी समिति मर्यादित पचपेड़ी पंजीयन क्रमांक 410 विकासखण्ड खैरागढ़, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70 (1) के अधीन श्री टी. आर. सहारे, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड खैरागढ़, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है और उक्त संस्था के परिसमापक ने नियमानुसार उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के प्रावधानों के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों से मैं संतुष्ट हूं एवं उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा (1) एवं (2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत गुरू घासीदास बुनकर सहकारी समिति मर्यादित पचपेड़ी, पंजीयन क्रमांक 410, विकासखण्ड खैरागढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) आज दिनांक 27-03-2012 से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 27 मार्च 2012

क्रमांक/205/उपंरा/परिसमापन/2012.—चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परिसमापन/1717, दिनांक 21-9-2000 के तहत् कबीर बुनकर सहकारी समिति मर्यादित पंडरिया, पंजीयन क्रमांक 18 विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70 (1) के अधीन श्री एम. एल. देवांगन, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड छुईखदान, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है और उक्त संस्था के परिसमापक नें नियमानुसार उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के प्रावधानों के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों से मैं संतुष्ट हूं एवं उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा (1) एवं (2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत कबीर बुनकर सहकारी समिति मर्यादित पंडरिया, पंजीयन क्रमांक 18 विकासखण्ड छुईखदान जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) आज दिनांक 27-03-2012 से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 27 मार्च 2012

क्रमांक/206/उपंरा/परिसमापन/2012.—चूंकि कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परिसमापन/189, दिनांक 22-3-2012 के तहत् प्रगतिशील श्रमिक कल्याण सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 562, विकासखण्ड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर इसी अधिनियम की धारा 70 (1) के अधीन श्रीमती सीमा मिश्रा, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है और उक्त संस्था के परिसमापक ने नियमानुसार उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 71 (3) के प्रावधानों के अधीन अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है तथा परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के तथ्यों से मैं संतुष्ट हूं एवं उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 की उपधारा (1) एवं (2) के विहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रगतिशील श्रमिक कल्याण सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 562 विकासखण्ड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं तथा उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) आज दिनांक 27-03-2012 से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 28 मार्च 2012

क्रमांक/210/उपंरा/परिसमापन/2012.—चूंकि राजश्री महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 01, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/03/उपंरा/परि./दिनांक 01-01-1985 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक श्रीमती सीमा मिश्रा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत राजश्री महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्यादित राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 01, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 28 मार्च 2012

क्रमांक/211/उपंरा/परिसमापन/2012.—चूंकि चूना उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, शंकरपुर राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 01, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/269/सपंरा/परि./दिनांक 29-01-1982 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक श्रीमती सीमा मिश्रा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71 (3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ. ग. की शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत चूना उद्योग सहकारी समिति मर्यादित शंकरपुर, राजनांदगांव, पंजीयन क्रमांक 01, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.